न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 18/2019
RCMS Case No. 2019/00067

सायल :–	बनाम	गैरसायलः–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		श्री दिलीप कुमार पुत्र पूरण कुमार जाति हरिजन निवासी गणेश टॉकिज के पीछे, सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी

:: निर्णय ::

दिनांक :– 17.12.19

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 12.04.2019 को गैरसायल श्री दिलीप कुमार पुत्र पूरण कुमार जाति हरिजन निवासी गणेश टॉकिज के पीछे, सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना सुमेरपुर का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ वर्ष 2006 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है, जिनमें से 10 प्रकरण धारा 13 आरपीजीओ में पंजीबद्ध हुए है तथा 2 प्रकरण मारपीट के पंजीबद्ध हुए है। जिनमें से अधिकतर प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	मु0न0	धारा	पुलिस थाना	नाम न्यायालय एवं निर्णय
1	357/14.10.2013	13 आर.पी.जी.ओ.	Sumerpur	दिनांक 20.11.2013 को श्रीमान जे. एम. सुमेरपुर द्वारा 1 साल के लिए पाबन्द व 100 रू. जुर्माने से दण्डित
2	168/22.04.2016	13 आर.पी.जी.ओ.	Sumerpur	दिनांक 12.08.2016 को श्रीमान एसीजेएम सुमेरपुर द्वारा एक साल के लिए पाबन्द व 100 रू. जुर्माने से दण्डिज
3	443/01.01.2017	13 आर.पी.जी.ओ.	Sumerpu	दिनांक 11.12.2017 को श्रीमान एसीजेएम सुमेरपुर द्वरा एक साल के लिए पाबन्द व 100 रू. जुर्मान से दण्डित

पूर्व में की गई इंसदादी कार्यवाही का विवरण :–

क्र.स.	इस्तगासा क्रमांक व दिनांक	धारा	नाम थाना	न्यायालय	निर्णय
1	20/18.09.18	110 जा.फौ.	सुमेरपुर	उपखण्ड मजिस्ट्रेट	श्रीमान एसडीएम सा. सुमेरपुर द्वारा दिनांक 18.09.2018 को 10000/– रू. के जमानत मुचलके व छः माह के लिए पाबंद

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल श्री दिलीप कुमार पुत्र पूरण कुमार जाति हरिजन निवासी गणेश टॉकिज के पीछे, सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली जुऐं के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना सुमेरपुर का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

अधिवक्ता गैर सायल ने वक्त बहस अपने जवाब के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैर सायल के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, पाली ने झुठा प्रकरण बनाकर पेश किया है, गैर सायल एक अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति नहीं है तथा न ही उसके ऐसा कोई कृत्य किया है, जिसके लिए उसे गुण्डा घोषित किया जावे। गैर सायल वर्तमान एक आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी कर के अपना परिवार चला रहा है। वह अब किसी भी प्रकार के जुऐं के धंधे में लिप्त नहीं है। अतः उसके विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1175/2013 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2013 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 676/2016 में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2016 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

घोषित करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया तथा माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 2370/2012 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2017 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया गया है। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल श्री दिलीप कुमार पुत्र पूरण कुमार जाति हरिजन निवासी गणेश टॉकिज के पीछे, सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना सुमेरपुर से निष्काषित कर पुलिस थाना सोजत रोड़ जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 3/01/2020 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना सोजत रोड़ जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी सोजत रोड़ जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल दिलीप कुमार इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना सुमेरपुर, गैरसायल दिलीप कुमार को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना सोजत रोड़ जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी सोजत रोड़ उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी सुमेरपुर अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना सुमेरपुर एवं थानाधिकारी सोजत रोड़ पाली को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली